GCMS = 2025/140

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– अर्जुनलाल पुत्र मदनलाल जाति नाई निवारी सुद्रासन तहसील मौलासर, जिला–डीडवाना– कुचामन, राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– कमला जाखड धर्मपत्नी मोहनराम जाखड जाति जाट निवासी सुद्रासन जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...47 / 2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
04.03.2025	प्रार्थी अर्जुनलाल पुत्र मदनलाल जाति नाई निवारी सुद्रासन तहसील मौलासर, जिला–डीडवाना– कुचामन, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कमला जाखड धर्मपत्नी मोहनराम जाखड जाति जाट निवासी सुद्रासन जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री मुकेश कुमार थोरी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद सुद्रासन के खसरा नम्बर 1028 की भूमि पर विक्रय / हस्तानान्तरण नहीं करेंगे एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन / वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 04.04.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 17/3/2025 पत्रावली वकील प्रार्थी [illegible] पेश हुए। मूल वाद के [illegible] पेश हुए। वादी व प्रतिवादी [illegible] जाना होना वाद की बिक्री करवाने का निवेदन किया है। अतः मूल वाद का निस्तारण होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र का औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली [illegible] कुमार दोका नम्बर के कायम हो।	अर्जुनराम [illegible] Adv.

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.09 14:19:22 IST

Reason: SelfAttested